

8/12/2022 पत्रावली आज पेश हुई।

वादी वकील अनुपस्थित।

वादी वकील एवं वादी स्वयं काफी लम्बे समय से अनुपस्थित।

आज अदालत समय में रूक-रूक कर तीन बार बार आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद वादी स्वयं एवं उनके वकील में से कोई उपस्थित नहीं हुए।

अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज लगाई गई। फिर भी इनमें से कोई हाजिर नहीं हुए। इससे जाहीर होता है कि वादी स्वयं एवं उनके वकील इस प्रकरण में कोई रूची नहीं ले रहे हैं।

अतः वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

